न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.

निगरानी 981-III-15

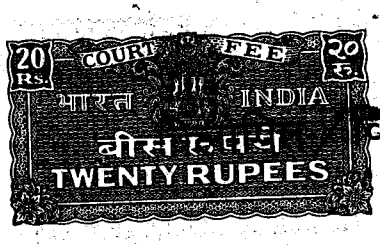

श्री अवधेश सिंह एड. द्वारा
पेश किया गया / 17-3-15
17.3.15
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किल कोर्ट) रीवा

20 Rs. COURT FEE 20 रु.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

विलोपित

1- अयोध्या प्रसाद तनय श्री तेजई प्रसाद केवट, उम्र 65 साल, पेशा खेती, निवासी ग्राम बधेड़ी तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)-

---निगरानीकर्ता

विरुद्ध

78
17.3.15

(1) अशोक कुमार पिता श्री रामप्रताप,

(2) महेन्द्र पिता श्री रामावतार प्रजापति,

(3) रामजीत पिता श्री रामलाल,

(4) गणेश पिता श्री रामलाल,

(5) उमाशंकर पिता जमुना प्रसाद,

(6) सन्तोष पिता श्री जमुना ,

(7) जगजीवन पिता श्री शिवप्रसाद,

(8) हीरालाल पिता श्री शिवप्रसाद,

(9) अब्दुलकलाम वल्द अब्दुल मुनीर ,

(10) उमाशंकर पिता श्री रामकिशोर,

(11) शिवाकर अनिल सिंह पिता श्री चन्द्रभान,

(12) शिवभारत पिता श्री बैरागी,

(13) नंदकुमार पिता श्री ईश्वरदीन,

(14) भगवानदास पिता श्री हरिहर प्रसाद,

(15) रेनू पति श्री दिवाकर सिंह,

(16) रामसूरत पिता श्री रामानुज कुशवाहा,

(17) रामलाल पिता श्री अमरनाथ,

(18) मोतीलाल पिता श्री अमरनाथ,

(19) अच्छेलाल पिता श्री अमरनाथ,

(20) हीरालाल पिता श्री अमरनाथ,

(21) संजय कोहली, पिता श्री राजेन्द्र कोहली,

क्रमांक 4978
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन
दिनांक ______ को प्राप्त
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. नि: 981/III/15 जिला रीवा

अयोध्या प्रसाद — अशोक कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-15	प्रकरण में आवेदक अधि० श्री अवधेश सिंह उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधि० द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्क में बताया गया कि आ०क्र० 49/1 रकबा 1.94 है० के भूमि स्वामी आवेदक है। आवेदक द्वारा अपनी उक्त भूमि में से अनावेदकों को प्लाट विक्रय किए गये थे। चूंकि विक्रय किये गये प्लाटों के सामने से जब फोर लेन रोड स्वीकृत हुई तो उसमें अनावेदकों के मकान एवं प्लाटों का हिस्सा भी चला गया, जिसका अनावेदकों द्वारा मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया। अनावेदकों के इन्हीं प्लाटों से लगी हुई आवेदक की शेष भूमि जो पूर्व की ओर है जो भूमि क्र० 49/1 का ही शेष भाग है पर अनावेदक पीछे हटकर प्राप्त करना चाहते हैं इस संबंध में स्थगन प्राप्त करने हेतु तह० के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तो तह० द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र बिना कारण बताये निरस्त किया गया जो उचित नहीं है क्योंकि मौके पर विपरीत स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके अति० वही तर्क प्रस्तुत किए गये, जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें विचार में लिया जा रहा है। प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधी० न्याया० के आदेश दिनांक 4.3.15 का अवलोकन किया गया जिसके द्वारा आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अभिलेख विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि स्थगन से किसी भी पक्ष को कोई	

[कृ. प. उ.

§2। §संजय कोहली, पिता श्री राजेन्द्र कोहली,

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश

R. 981/मेन/15 ग्रेवा

अयोध्या प्रसाद अशोक कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सम्भवतः इस प्रकरण मे वर्तमान मे किसी प्रकार की क्षति होना सम्भावित नही है वाल्कि यदि प्रकरण मे उपस्थित विवाद के निस्तारण तक या तीन महीने तक जो भी पहले हो, तक के लिये यदि यथा स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश तहसीलदार द्वारा दिया जाता तो उचित होता तथा मौके पर विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने से बची रहती है।	
	उपरोक्त परिस्थितियों मे तथा प्रकरण मे विद्यमान तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे तहसीलदार का आदेश दिनांक 5-3-15 स्थिर रखेजानेयोग्य नही है।	
	अतः तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे मौके पर स्थिति को देखे एवं यह सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार की विपरीत स्थिति निर्मित न हो तथा तह० न्यायालय मे प्रचलित प्रकरण मे तीन माह में प्रचलित एवं विद्यमान विवाद का निस्तारण करें तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणगत निर्णय पारित करें तथा यदि आवश्यक हो, तो यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रकरण के निस्तारण तक किसी प्रकार की विद्यमान विवाद को लेकर अप्रिय घटना घटित न हो। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा०रि० हो।	
	[signature] सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—714

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.